प्रेस नोट
दिनांक 29.04.2026 थाना धानेपुर
जनपद गोण्डा।

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा जान से मारने की नियम हमला करने के 02 और आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 130/2026, धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 118 (1), 296, 324(4), 125, 109 BNS व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित घटना में संलिप्त 02 और आरोपी अभियुक्तों- 01.राजन सोनी, 02. पहलाद को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27/04/2026 को वादनी द्वारा थाना धानेपुर को सूचना दी कि वह शौच के लिए बाहर गई थी कि विपक्षी रास्ते में उसे देखकर अश्लील भाषा का प्रयोग/हरकत करने लगे। इसके बारे में वह अपने पति से घर आकर बताई तो उसके पति विपक्षीयो से पूछने गए तो इसी बात से नाराज होकर विपक्षीगण गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडा, चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। वादनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमे दिनांक 28.04.2026 को थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त 03 आरोपी अभियुक्तों 01.अनिल कुमार, 02.अजय कुमार, 03. प्रदीप कुमार को कस्बा धानेपुर उनके घर से गिरफ्तार जेल भेजा गया था। तथा नामजद अन्य आरोपी अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे थे।

आज दिनांक 29.04.2026 को 02 और आरोपी अभियुक्तों 01. राजन सोनी, व 02. पहलाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. राजन सोनी पुत्र विजय कुमार सोनी निवासी बाबूराम कस्बा धानेपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
2. प्रहलाद पुत्र सोनू कुमार निवासी बाबूराम कस्बा धानेपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत मुकदमा-

01. मु0अ0सं0- 130/2026, धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 118(1), 296, 324(4), 125, 109 BNS व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 श्री गंगोत्री यादव
2. हे0का0 रूपचन्द गौतम
3. हे0का0 कुशहर यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.04.2026
जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम की मासिक गोष्ठी का किया आयोजन, सम्बन्धित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश-

आज दिनांक 29.04.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में पुलिस कार्यालय के सभागार कक्ष में सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट मिशन की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमे सीसीटीएनएस रैंकिंग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं, अपराधियों के फोटोग्राफ्स सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपलोड करने, गुमशुदा व्यक्तियों के विवरण एवं फोटो को अपलोड करने, प्रतिदिन डाटा सिंक करने, आईसीजेएस व cri-mac पर प्रतिदिन, सीसीटीएनएस रैंकिंग पैरामीटर के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे सीसीटीएनएस की जनपदीय रैंकिंग मे जनपद की स्थिति उच्च बनी रहे इसके साथ ही सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपराध अन्वेषण में उपयोगी दस्तावेजों को अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया तथा नागरिकों द्वारा दिये गये आनलाइन नागरिक सेवाओं यथा चरित्र सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, घरेलू सहायता सत्यापन, शिकायत एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का समय पूर्व निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया, दुर्घटना होने पर विवेचक द्वारा तत्काल iRAD के माध्यम से फीडिंग हेतु भी निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर सी0सी0टी0एन0एस0 प्रभारी राजदीप यादव व सभी थानों से आये कम्प्यूटर ऑपरेटर/सी0सी0टी0एन0एस0 कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.04.2026

<u>मिशन शक्ति 5.0 के तहत वामा सारथी एसोसिएशन की अध्यक्षा द्वारा महिला थाना परिसर में राजकीय मेडिकल कॉलेज गोण्डा की छात्राओं से किया गया संवाद, उपस्थित छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया गया -</u>

गोण्डा। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत आज दिनांक 29.04.2026 को महिला थाना परिसर में एक विशेष जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय मेडिकल कालेज गोण्डा की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं में सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, जागरूकता एवं पुलिस तंत्र के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता वामा सारथी संघ की अध्यक्षा डा0 तन्वी जायसवाल द्वारा की गई। उन्होंने विद्यालय से आयी हुई छात्राओं से संवाद स्थापित करते हुए विभिन्न जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें यह विश्वास दिलाया कि पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा और सहयोग हेतु तत्पर है। महोदया द्वारा छात्राओं को आत्मनिर्भर, सजग एवं सशक्त नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी प्रदान की गई, जिनमें प्रमुख रूप से 1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन), 181 (महिला समग्र सहायता हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1930 (साइबर ठगी हेल्पलाइन) एवं 1098 (चाइल्डलाइन) शामिल हैं। उन्होंने छात्राओं को बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे निःसंकोच इन हेल्पलाइन नम्बरों के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधों के बढ़ते प्रचलन पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए महोदया ने छात्राओं को सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, फिशिंग, ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी एवं साइबर बुलिंग से बचाव के उपायों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को समझाया कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या ऑनलाइन ऑफर पर भरोसा न करें तथा अपने व्यक्तिगत डाटा या पासवर्ड किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा न करें। कार्यक्रम के अंतर्गत महिला थाना प्रभारी, महिला बीट पुलिस अधिकारीगण एवं अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा भी छात्राओं को सुरक्षा, आत्मरक्षा एवं कानून संबंधी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही मिशन शक्ति अभियान से संबंधित जागरूकता पंपलेट्स भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की एवं महोदया से संवाद के दौरान अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जिनका समाधान उन्हें सहज, प्रेरक एवं आत्मविश्वासपूर्ण रूप में प्रदान किया गया।

<u>इस अवसर पर महिला थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>